रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 19 जुलाई, 2007/28 आषाढ़, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 27 जून, 2007

संख्या एच0 एफ0ड ब्ल्यू0 बी(ए)2–18/2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल दन्त चिकित्सक अधिनियम,1948 (1948 का 16) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सक, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी और दन्त यांत्रिक रजिस्ट्रीकरण नियम, 2006 है।

1498–राजपत्र/2007–19–7–2007—1386. (3065) मूल्य : 1 रुपया।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में, विरूद्ध न हो,—

(क) "अधिनियम" से दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 16) अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित "हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्" अभिप्रेत है;

(ग) "निदेशक" से निदेशक, दन्त स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(घ) "कार्यकारिणी समिति" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य" से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 25 के अधीन निर्वाचित हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(झ) "रजिस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 28 (क) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ञ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ट) "उपाध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 25 के अधीन निर्वाचित परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय–2

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा रजिस्टरों का संकलन और प्रकाशन

3. दन्त चिकित्सा रजिस्टर तैयार करना.—रजिस्ट्रार दन्त चिकित्सकों का रजिस्टर प्ररूप–1 में रखेगा ।

4. दन्त चिकित्सकों का रजिस्टर.—(1) रजिस्ट्रार, धारा 31 के अधीन 'क' और 'ख' दो भागों में दन्त चिकित्सकों का रजिस्टर रखेगा । मान्यता प्राप्त दन्त चिकित्सा अर्हता रखने वाले व्यक्तियों और

इस प्रकार की अर्हता न रखने वाले व्यक्तियों को, यथास्थिति, भाग–क और भाग–ख में वर्णक्रम में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा भविष्य में परिवर्धन और परिवर्तन के लिए पर्याप्त स्थान रखा जाएगा ।

(2) रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ, रजिस्ट्रार द्वारा अपने हस्ताक्षर करके सत्यापित किया जाएगा ।

5. **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों और दन्त यांत्रिकों के रजिस्टर.**—(1) रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 36 के अधीन प्ररूप–2 में दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों और दन्त यांत्रिकों का रजिस्टर रखेगा । धारा 37 और 38 के अधीन क्रमशः दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों या दन्त यांत्रिकों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार व्यक्तियों के नाम वर्णक्रम में प्रविष्ट किए जाएंगे तथा भविष्य में परिवर्धन और परिवर्तन हेतु पर्याप्त स्थान रखा जाएगा ।

(2) रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा अपने हस्ताक्षर करके सत्यापित किया जाएगा ।

6. **रजिस्टर का मुद्रण.**—रजिस्ट्रार, प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र रजिस्टरों को उसी स्थिति में मुद्रित करवाएगा जो उनकी उक्त तारीख को थी और उनकी प्रतियां इन नियमों के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्तियों को फीस के संदाय पर उपलब्ध करवायी जाएंगी तथा यह इसका साक्ष्य होगा कि जिन व्यक्तियों के नाम, उक्त तारीख को, उसमें प्रविष्ट हैं वे, यथास्थिति, दन्त चिकित्सक या दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी या दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत थे ।

अध्याय–3

फीस

7. **रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए फीस.**—(1) दन्त चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु धारा 32 की उप–धारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के पक्ष में संदेय नकद या मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से 500/– रुपए की फीस संलग्न की जाएगी ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत दन्त–चिकित्सक, धारा 39 के अधीन उस वर्ष जिससे यह सम्बन्धित है, के प्रथम अप्रैल से पूर्व 100/– रुपए की नवीकरण फीस का संदाय करेगा ।

(3) रजिस्ट्रार, धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन 500/– रूपए की फीस के संदाय पर और नवीकरण फीस के अद्यतन संदाय पर उस व्यक्ति का नाम प्रत्यावर्तित करेगा जिसका नाम नवीकरण फीस की देय तारीख तक असंदाय के कारण काटा गया था ।

(4) (i) दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी/दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ 250/– रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

(ii) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी/दन्त यांत्रिक धारा 39 के अधीन उस वर्ष जिससे यह सम्बन्धित है के प्रथम अप्रैल से पूर्व 50/– रुपए की नवीकरण फीस का संदाय करेगा।

(iii) रजिस्ट्रार, धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन 250/– रुपए की राशि के संदाय पर और नवीकरण फीस के अद्यतन संदाय पर उस व्यक्ति का नाम प्रत्यावर्तित करेगा जिसका नाम नवीकरण फीस की देय तारीख तक असंदाय के कारण काटा गया था।

(5) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र खो गया हो या नष्ट हो गया हो, तो रजिस्ट्रार धारा 44 के प्रारूप में आवेदन की प्राप्ति पर 250/– रुपए की फीस के संदाय पर, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत दन्त

चिकित्सक या दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी या दन्त यांत्रिक द्वारा शपथ–पत्र पेश किए जाने के अध्यधीन प्ररूप 10, 11 और 12 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(6) रजिस्ट्रार, धारा 40 के अधीन किसी आगामी मान्यता प्राप्त (दन्त) अर्हता, जिसे रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सक अभिप्राप्त करे, की 250/– रुपए की फीस के संदाय पर दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर में अतिरिक्त प्रविष्टि करेगा।

(7) रजिस्ट्रार, धारा 46–क के अधीन रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सक के रजिस्ट्रीकरण को हिमाचल प्रदेश राज्य से अन्य राज्य को अन्तरण के लिए 500/– रुपए की फीस के संदाय पर प्ररूप–14 में अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल तभी जारी करेगा जब इस प्रकार का आवेदन प्ररूप–8 में सद्भावपूर्वक किया गया हो ।

(8) रजिस्ट्रार, धारा 45 के अधीन 100/– रुपए की फीस के संदाय पर रजिस्टरों की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध करवाएगा ।

(9) रजिस्ट्रार, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन उस व्यक्ति का नाम, जिसे धारा 41 के अधीन काटा गया है, 500/– रुपए की फीस के संदाय पर रजिस्टर में प्रत्यावर्तित करेगा ।

(10) रजिस्ट्रार, अधिनियम के अधीन संदेय समस्त फीस नकद में या अपने पक्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करेगा तथा उनको अनुसूचित बैंक में परिषद् के लेखे में जमा करेगा ।

अध्याय–4

रजिस्टर में नाम का रजिस्ट्रीकरण, हटाया जाना और प्रत्यावर्तन

8. **रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रक्रिया.**—(1) रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन प्ररूप–3 में होगा और इसके साथ इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस संलग्न की जाएगी ।

(2) आवेदन इस बात के दस्तावेजीय साक्ष्य द्वारा समर्पित किया जाएगा कि आवेदक अधिनियम की धारा 33, 34, 37 और 38 के अधीन यथा अपेक्षित मान्यता प्राप्त दन्त अर्हताएं रखता है ।

(3) (i) परिषद्, कारणों के पर्याप्त प्रतीत होने पर और सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन आदेश दे सकेगी कि धारा 41 के अधीन जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटाया गया उसे 500/– रुपए की फीस के नकद या रजिस्ट्रार के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से संदाय पर उसको प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।

(ii) रजिस्ट्रार, उस व्यक्ति के नाम को, जिसे धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन नवीकरण फीस की देय तारीख तक असंदाय के कारण काटा गया है, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस के संदाय पर रजिस्टर में प्रत्यावर्तित करेगा ।

अध्याय–5

परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति

9. रजिस्टर रखना.—(1) रजिस्ट्रार, परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति बारे विशिष्टियां प्ररूप–4 में रखेगा ।

(2) परिषद् में नियुक्त किसी सदस्य की पदावधि के अवसान से नब्बे दिन पूर्व रजिस्ट्रार, रिक्ति के बारे में यदि भरी जाने वाली रिक्ति निर्वाचित सदस्य की बाबत हो तो अध्यक्ष को तथा यदि भरी जाने वाली रिक्ति नामनिर्दिष्ट सदस्य की बाबत हो, तो अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को लिखित में रिपोर्ट देगा ।

(3) यदि परिषद् के सदस्य के स्थान में ऐसे उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व ऐसे सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, हटाए जाने या निःशक्तता के कारण या अन्यथा आकस्मिक रिक्ति होती है, तो रजिस्ट्रार, ऐसी रिक्ति के सम्बन्ध में यदि रिक्ति निर्वाचित सदस्य की बावत है तो अध्यक्ष को तथा यदि रिक्ति नामनिर्दिष्ट सदस्य की बाबत है तो अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को लिखित में रिपोर्ट देगा ।

(4) निर्वाचित सदस्य के सम्बन्ध में किसी भी रीति में घटित होने वाली रिक्ति, हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1999 के अधीन उपबन्धित रीति में निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी ।

अध्याय–6

परिषद् की बैठकें

10. बैठकें.—(1) परिषद् की बैठक सामान्य या विशेष होगी तथा जैसा अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अन्यथा उपबन्धित है के सिवाए परिषद् की बैठकें रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएंगी।

(2) परिषद्, अपने कारबार के संव्यवहार के लिए सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(3) प्रत्येक बैठक की सूचना, उसका समय और तारीख तथा उसमें संव्यवहृत किए जाने वाले कारबार को विनिर्दिष्ट करते हुए परिषद् के प्रत्येक सदस्य को सामान्य बैठक से कम से कम पूर्ण 10 दिन पूर्व और विशेष बैठक से पूर्ण 7 दिन पूर्व भेजी जाएगी और परिषद् के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी :

परन्तु जहां ऐसा करना लोक हित में समीचीन समझा जाए, वहां इस उप–नियम में विनिर्दिष्ट समय–सीमाओं की आवश्यकता को सरकार के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकेगा ।

(4) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जब–जब वह उचित समझे, परिषद् के कुल सदस्यों के एक–तिहाई से अन्यून द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा करने पर या यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, यथास्थिति, सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा या सरकार की अपेक्षा/निदेशों की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर विशेष बैठक बुला सकेगा।

(5) बैठक में उपस्थित होने वाला प्रत्येक सदस्य, ऐसी उपस्थिति की तारीख को, रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई नामावली पुस्तक में अपने नाम की प्रविष्टि करेगा तथा अपने हस्ताक्षर करेगा।

(6) परिषद् की कोई भी बैठक, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किसी अन्य तारीख को स्थगित की जा सकेगी, परन्तु आगामी ऐसी बैठक में स्थगित बैठक द्वारा छोड़े गए कारबार के सिवाए कोई अन्य कारबार संव्यवहृत नहीं किया जाएगा ।

(7) परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता यदि उपस्थित अध्यक्ष हो, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, इसके सदस्यों में से कोई एक, जिसे सदस्य निर्वाचित कर सकेंगे, करेगा।

(8) इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, परिषद् की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले समस्त विवाद / मामले उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, तथा मत बराबर होने की दशा में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी के पास निर्णायक मत होगा ।

(9) परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से निपटाए गए किसी मामले पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक इसके कुल सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून की अभिलिखित सहमति इसके लिए अभिप्राप्त नहीं की गई हो या जब तक सरकार द्वारा इसके पुनर्विचार का निदेश न दिया गया हो ।

(10) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, परिषद् की बैठक में कारबार के संव्यवहार हेतु निम्नलिखित से गणापूर्ति होगी :—

(क) यदि यह साधारण बैठक है तो, आधे सदस्यों से और मत का अधिकार रखने वाले इसके और

(ख) यदि यह विशेष बैठक है तो इसके दो तिहाई सदस्यों से मत का अधिकार रखने वाले इसके

(11) (क) कोई भी सदस्य परिषद् के कृत्य करने से सम्बद्ध मामले से सम्बन्धित संकल्प प्रस्तावित कर सकेगा ।

(ख) संकल्प की ग्राह्यता का विनिश्चय अध्यक्ष करेगा और किसी संकल्प को, जो उसकी राय में, अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में हो, अनुज्ञात करेगा । ग्राह्यता के प्रश्न पर अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(ग) संकल्प में न तो तर्क, निष्कर्ष; मानहानिकारक कथनों की अभिव्यक्ति अन्तर्विष्ट होगी न ही यह किसी व्यक्ति के, उसकी लोक हैसियत में, चरित्र या आचरण को निर्दिष्ट करेगा।

(घ) न्यायालय में न्यायाधीन किसी मामले की बाबत कोई संकल्प प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) संकल्प प्रस्तावित करने की इच्छा रखने वाला कोई सदस्य संकल्प की प्रति सहित अपने पूर्ण आशय का लिखित में कम से कम पूर्ण छह दिन का नोटिस देगा :

परन्तु अध्यक्ष उसके द्वारा कथित कारणों के लिए, छह दिन से कम के नोटिस के साथ संकल्प को कारबार की सूची में दर्ज करवाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(च) यदि संकल्प प्रस्तावित करने वाला सदस्य अनुपस्थित हो, तो उसके द्वारा प्रस्तावित संकल्प रद्द हो जाएगा।

(छ) प्रस्तावित प्रत्येक संकल्प एक सदस्य द्वारा समर्पित किया जाना अपेक्षित होगा।

(ज) संकल्प पर चर्चा, सर्वथा संकल्प की विषय–वस्तु तक ही सीमित होगी ।

(12) जब संकल्प विचार–विमर्श के अधीन हो, तो संकल्प के संशोधन, मुल्तवी करने और स्थगन; परिषद् के स्थगन तथा संकल्प पर मतदान से सम्बन्धित के सिवाए कोई आगामी प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(13) जब संकल्प का संशोधन विचार–विमर्श के अधीन हो, तो संकल्प के संशोधन पर विचार–विमर्श के स्थगन, परिषद् के स्थगन तथा संकल्प के संशोधन पर मतदान की बाबत के सिवाए कोई अतिरिक्त प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(14) यदि संकल्प के संशोधन पर विचार–विमर्श के स्थगन हेतु प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाता है, तो परिषद् कारबार के कार्यक्रम की आगामी मद पारित करेगी और विचार–विमर्श का पुनरारम्भ आगामी साधारण बैठक में किया जाएगा । विचार–विमर्श के पुनरारम्भ पर, स्थगन का प्रस्थापक पहले बोलने का हकदार होगा ।

(15) यदि परिषद् के स्थगन हेतु प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाता है, तो विचार–विमर्श के अधीन संकल्प को कारबार की सूची से हटा दिया जाएगा ।

(16) परिषद् के स्थगन हेतु प्रस्ताव किए जाने और समर्थित किए जाने पर, प्रस्ताव पर मतदान करने से पूर्व, सदस्यों की यह राय लेना कि क्या यह उठने से पूर्व कारबार के निर्विरोध संव्यवहार को अग्रसर होगी, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति की क्षमता के भीतर होगा ।

(17) जब तक अध्यक्ष अन्यथा व्यवस्था न दे बन्द के लिए प्रस्ताव तत्काल मतदान किए जाने हेतु बिना विचार–विमर्श के प्रस्तावित और समर्थित किया जाएगा । प्रस्ताव के कार्यान्वित किए जाने की दशा में परिषद् द्वारा तत्काल विचार–विमर्श के अधीन संकल्प या सशोधन पर मतदान किया जाएगा ।

(18) पूर्व प्रश्न के लिए प्रस्ताव बिना विचार–विमर्श के प्रस्तावित और समर्थित किया जाएगा और इस पर तत्काल मतदान किया जाएगा । प्रस्ताव के कार्यान्वित किए जाने की दशा में, उसको जिस पर संकल्प या संशोधन लागू होता है कारबार की सूची से हटा दिया जाएगा ।

(19) अध्यक्ष, बैठक में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में किसी बैठक को निलम्बित कर सकेगा तथा बैठक को दोबारा उसके द्वारा नियत किसी समय आयोजित कर सकेगा ।

(20) अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो उसकी राय में व्यवस्था–भंग का दोषी है, परिषद् की बैठक से तुरन्त हट जाने हेतु निदेश दे सकेगा तथा इस प्रकार आदेशित कोई सदस्य तत्काल हट जाएगा ।

(21) रजिस्ट्रार, परिषद् की बैठक की कार्यवाहियों को अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि के पश्चात्, सम्यक रूप से अधिप्रमाणित, मुद्रित कार्यवृतों के रूप में अभिलिखित करेगा ।

(22) रजिस्ट्रार, प्रत्येक सदस्य और अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को बैठक के कार्यवृत की एक प्रति बैठक के सात दिन के भीतर भेजेगा ।

(23) कार्यवृत पढ़ लिए गए समझे जाएंगे :

परन्तु कोई सदस्य यह प्रस्तावित कर सकेगा कि एक निश्चित कार्यवृत को उसमें ऐसी शुद्धि या परिवर्धन की दृष्टि से, जिसे आवश्यक पाया / समझा जाए, पढ़ लिया जाए ।

(24) रजिस्ट्रार, परिषद् की बैठक के कार्यवृत अन्तिम पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के पश्चात् वार्षिक जिल्द में अन्तःस्थापन हेतु रखेगा ।

11. **कार्यकारिणी समिति.**—(1) परिषद् अधिनियम की धारा 29 के अधीन निम्नलिखित से गठित, अपने सदस्यों में से समिति का गठन करेगी—

(क) अध्यक्ष (पदेन)
(ख) उपाध्यक्ष (पदेन)
(ग) निदेशक, दन्त स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश
(घ) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश (पदेन)
(ङ) प्रधानाचार्य, हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला
(च) परिषद् द्वारा चयनित किए जाने वाले दो सदस्य

(2) गणापूर्ति, कार्यकारिणी समिति के दो–तिहाई सदस्यों से होगी। कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना, बैठक की तारीख से सात दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जाएगी ।

(3) कार्यकारिणी समिति की बैठक, परिषद् की बैठक से एक पखवाड़े से अन्यून से पूर्व आयोजित की जाएगी और इसकी सिफारिशें सदस्यों को परिषद् की बैठक से पूर्व परिचालित की जाएंगी ।

(4) कार्यकारिणी समिति, निम्नलिखित शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(क) हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सक रजिस्टर के प्रकाशन का पर्यवेक्षण

(ख) सदस्यों द्वारा अधिसूचित संकल्पों और संशोधनों की सूचनाओं से भिन्न कारबार का प्रारूपण तथा उस पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना ।

(ग) विश्वविद्यालयों और अन्य परीक्षण निकायों से ऐसी सूचना अभिप्राप्त करना जो अधिनियम को लागू करने को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हों ।

(घ) वृत्तिक परीक्षाओं के परिणामों की विशिष्टियों की मांग करना और उन पर आवश्यक टिप्पणियों सहित उन्हें प्रतिवर्ष परिषद् को प्रस्तुत करना ।

(ङ) अधिनियम की धारा 15 के अधीन परीक्षाओं के निरीक्षणों की रिपोर्टों पर विचार करना और सरकार को अग्रेषित करना ।

(च) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अभ्यर्पित करने में चूक के लिए शिकायतें (परिवाद) प्रस्तुत करना।

(छ) धारा 41 के अधीन परिषद् को दन्त चिकित्सकों/दन्त यांत्रिकों/दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों के रजिस्टर के भाग–क/भाग–ख से नामों को हटाने के लिए सिफारिश करना ।

(ज) परिषद् द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी अन्य कारबार पर विचार करना।

अध्याय–7

परिषद् का कर्मचारीवृंद

12. रजिस्ट्रार.—(1) परिषद् सरकार की पूर्व मन्जूरी से, रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो परिषद् के सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा । रजिस्ट्रार दस वर्ष की सेवा या रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के रूप में दस वर्ष के अनुभव सहित अधिमानतः स्नातक दन्त चिकित्सक होना चाहिए । उसे, नियमों के अधीन उपबन्धित, नियत मानदेय पर, अंशकालिक आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् के रजिस्ट्रार के पद के लिए, तीन नामों की सूची सरकार के विचार हेतु अग्रेषित करेगा ।

(3) रजिस्ट्रार को परिषद् द्वारा प्रति मास पांच हजार रुपए मानदेय संदत्त किया जाएगा ।

(4) रजिस्ट्रार, उन समस्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सौंपे जाएं ।

(5) रजिस्ट्रार, परिषद् के सचिव के रूप में, परिषद् की बैठकें संचालित करेगा और परिषद् का पत्राचार उसके भार साधन में रहेगा ।

(6) रजिस्ट्रार, प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष की आय और व्यय का विवरण तैयार करेगा और ऐसे मामलों की ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट करेगा जो उसे ध्यान देने योग्य प्रतीत होते हों ।

(7) रजिस्ट्रार 250/– रुपए तक का व्यय उपगत करने के लिए तथा अध्यक्ष 200/– रुपए से अधिक का व्यय उपगत करने हेतु प्राधिकृत होगा ।

(8) रजिस्ट्रार, अध्यक्ष द्वारा मन्जूर किए गए या उसके द्वारा उपगत किए गए समस्त व्ययों को, परिषद् को इसकी आगामी बैठक में रिपोर्ट करेगा ।

(9) रजिस्ट्रार, वर्तमान अपेक्षाओं से अधिक किसी भी रकम को सावधि निक्षेप (फिक्स डिपोज़िट) में रखेगा । परिषद् के नाम से सावधि निक्षेप सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी अनुसूचित राष्ट्रीय बैंक के लॉकर में रखे जाएंगे ।

(10) रजिस्ट्रार के कार्यालय में समस्त कार्य दिवसों को 10.00 बजे से 14.00 बजे तक कार्य किया जाएगा तथापि, समस्त राजपत्रित अवकाशों, द्वितीय शनिवारों, रविवारों, उपायुक्त शिमला द्वारा घोषित स्थानीय अवकाशों और सरकार द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित किसी अन्य अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा ।

(11) परिषद्, सरकार की पूर्व मन्जूरी से, विधिक सलाह अभिप्राप्त करने और दन्त चिकित्सकों, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों या दन्त यांत्रिकों के विरूद्ध शिकायतों (परिवादों) का निपटारा करने के लिए कार्यकारिणी समिति को सहायता देने हेतु तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित शर्तों और निबंधनों पर, राज्य में, न्यायालय में विधिक मामलों में परिषद् के स्थायी परामर्शी के रूप में कार्य करने के लिए विधि व्यवसायी भाड़े पर लेगी ।

(12) परिषद् सरकार की पूर्व मन्जूरी से, डाटा प्रविष्टि ऑपरेटर के रूप में पर्याप्त कार्य अनुभव वाला एक लिपिक, दो हजार पांच सौ रुपये प्रति मास के नियत मानदेय पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त करेगी ।

(13) परिषद् सरकार की पूर्व मन्जूरी से एक चपड़ासी एक हज़ार रुपये प्रति मास के नियत मानदेय पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त करेगी । सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत वर्ग–IV कर्मचारियों को अधिमान दिया जाएगा ।

(14) परिषद् सरकार की पूर्व मन्जूरी से एक सफाई कर्मचारी एक हज़ार रुपये प्रति मास के नियत मानदेय पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त करेगी ।

(15) परिषद् को, नियमों के अधीन की गई नियुक्तियों को एक मास का नोटिस देते हुए, समाप्त करने का प्राधिकार होगा ।

अध्याय–8

यात्रा भत्ता और फीस

14. (1) सदस्यों को, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करते हुए और उसी में सीमित करते हुए उनकी हकदारियों के अनुसार यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता / मंहगाई भत्ता (टी0 ए0 / डी0 ए0) उसी प्रकार संदत्त किया जाएगा जैसा राज्य में ग्रेड–1 अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।

(2) परिषद् के कर्मचारी, यात्रा भत्ते के, उसी दर से, हकदार होंगे, जिस दर से, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नियमों के अधीन, उसी हैसियत के सरकारी कर्मचारी हकदार हैं ।

अध्याय–9

जांच संचालन करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

15. (1) रजिस्ट्रार अपने पास रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सक या दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी या दन्त यांत्रिक जिसे इसमें इसके पश्चात् आरोपित व्यक्ति कहा गया है, के बारे में प्राप्त शिकायत (परिवाद) का सार बनाएगा, जिससे प्रथमदृष्टया वृत्तिक सम्बन्धी कुत्सित आचरण गठित होता हो ।

(2) रजिस्ट्रार, केवल ऐसी शिकायतों (परिवादों) का संज्ञान लेगा, जो लिखत में किए गए हों और जिनमें शिकायतकर्ता (परिवादी) का डाक पता हो तथा सम्यक रूप से दो संदर्भों (रेफरैंसिज) द्वारा समर्थित हो। रजिस्ट्रार अनाम शिकायतों (परिवादों) पर ध्यान नहीं देगा ।

(3) रजिस्ट्रार, शिकायतकर्ता (परिवादी) द्वारा अपनी शिकायत (परिवाद) के समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य सहित शिकायत (परिवाद) को और उसके द्वारा तैयार किए गए सार को अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, जो यदि उचित समझे तो रजिस्ट्रार को आरोपित व्यक्ति, जिसके विरूद्ध शिकायत (परिवाद) की गई है, से कोई स्पष्टीकरण, जिसे वह पेश करना चाहता हो, मांग सकेगा । उक्त आरोपित व्यक्ति द्वारा अग्रेषित किसी स्पष्टीकरण सहित दस्तावेज तब कार्यकारिणी समिति को निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो उन पर विचार करेगी और जिसे अतिरिक्त अन्वेषण करवाए जाने और अतिरिक्त साक्ष्य लेने, तथा, यदि आवश्यक हो, तो मामले को विधि व्यवसायी को, उसकी सलाह और सहायता के लिए, जैसे वह उचित समझे, निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी ।

(4) रजिस्ट्रार, कार्यकारिणी समिति की ओर से, आरोपित व्यक्ति को सम्बोधित, प्ररूप--5 में, रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा, नोटिस जारी करते हुए जांच संस्थित करेगा। ऐसा नोटिस आरोपों की प्रकृति और विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करेगा और आरोपित व्यक्ति को उस दिन, समय और स्थान की सूचना देगा, जब कार्यकारिणी समिति मामले को निपटाने का आशय रखती हो तथा उसे आरोपों का लिखत में, उत्तर देने एवं उस दिन उक्त समिति के समक्ष हाज़िर होने हेतु बुलाएगा । रजिस्ट्रार शिकायतकर्ता (परिवादी) को भी जांच के दिन, समय और स्थान की सूचना, रजिट्रीकृत डाक द्वारा देगा और उसे आरोपित व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत (परिवाद) के समर्थन में साक्ष्य सहित कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का निदेश देगा ।

(5) रजिस्ट्रार, आरोपित व्यक्ति को, ऐसे फेरफार सहित जैसी परिस्थितियां अपेक्षा करती हों, नोटिस भेजेगा । इसे जांच की तारीख से तीन सप्ताह पूर्व भेजा जाएगा और इसके साथ जांच संचालित करने के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु अधिनियम की धारा 41 और नियमों की एक प्रति संलग्न की जाएगी ।

(6) रजिस्ट्रार, आरोपित व्यक्ति या उसके विधि व्यवसायी द्वारा लिखित प्रार्थना पर शिकायत (परिवाद) और शिकायत (परिवाद) के समर्थन में परिषद् को शिकायतकर्ता (परिवादी) द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रति का प्रदाय करेगा ।

(7) रजिस्ट्रार, शिकायतकर्ता (परिवादी) या उसके विधि व्यवसायी द्वारा लिखित प्रार्थना पर, आरोपित व्यक्ति द्वारा परिषद् को दिए गए उत्तर और उत्तर के समर्थन में साक्ष्य की प्रति का प्रदाय करेगा ।

(8) अध्यक्ष, आरोपित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी उत्तर अग्रेषित साक्ष्य या कथन या किए गए आवेदन नोटिस जारी करने की तारीख और आरोप की सुनवाई हेतु नियत तारीख के मध्य, ऐसी रीति में जैसी वह उचित समझे निपटाएगा ।

(9) रजिस्ट्रार, समस्त तात्विक दस्तावेजों की प्रतियां, जिसको सुनवाई से पूर्व साक्ष्य के रूप में कार्यकारिणी समिति के समक्ष पेश किया जाना है; अध्यक्ष को भेजेगा ।

(10) कार्यकारिणी समिति द्वारा मामले की सुनवाई में शिकायतकर्ता (परिवादी) के साथ–साथ आरोपित व्यक्ति का विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा या सहायता की जा सकेगी।

(11) जहां शिकायतकर्ता (परिवादी) व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से हाजिर होता हो, वहां प्रक्रिया का क्रम निम्नलिखित होगा :—

(i) रजिस्ट्रार, आरोपित व्यक्ति को सम्बोधित जांच का नोटिस कार्यकारिणी समिति को पढ़कर सुनाएगा ।

(ii) तत्पश्चात् शिकायतकर्ता (परिवादी) को अपने मामलों का स्वयं या अपने विधि व्यवसायी के माध्यम से कथन करने हेतु और उसके समर्थन में सबूत पेश करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा ।

(iii) तत्पश्चात् आरोपित व्यक्ति को फिर अपने मामले का स्वयं या अपने विधि व्यवसायी के माध्यम से कथन करने और उसके समर्थन में साक्ष्य पेश करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। वह, कार्यकारिणी समिति को अपनी स्थिति, या तो पहले या अपने साक्ष्य की समाप्ति पर केवल एक बार, स्पष्ट कर सकेगा ।

(iv) आरोपित व्यक्ति के स्पष्टीकरण की समाप्ति पर, यदि आरोपित व्यक्ति ने साक्ष्य पेश किया हो तो कार्यकारिणी समिति, साधारणतया, मामले पर उत्तर में परिवादी को सुनेगी परन्तु विशेष मामले में जहां कार्यकारिणी समिति ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करना समुचित समझती है, के सिवाए कोई अतिरिक्त साक्ष्य नही सुनेगी । कार्यकारी समिति की विशेष इजाजत के सिवाए उत्तर में शिकायतकर्ता (परिवादी) की सुनवाई नहीं की जाएगी ।

(v) जहां कार्यकारिणी समिति के समक्ष किसी पक्ष द्वारा साक्षी पेश किया गया हो, वहां उसकी परीक्षा ऐसा साक्षी पेश करने वाले पक्ष द्वारा पहले की जाएगी और तत्पश्चात् विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी प्रति–परीक्षा की जाएगी, तथा फिर उक्त साक्षी को पेश करने वाले पक्षकार द्वारा उसकी पुनः परीक्षा की जाएगी । जहां साक्षी उपस्थित न हो, वहां कार्यकारिणी समिति किसी कथन को साक्ष्य में स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगी या प्रति–परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने से इन्कार कर सकेगी ।

(vi) कार्यकारिणी समिति का सभापति (चेयरमैन) और सभापति (चेयरमैन) के माध्यम से सदस्य किसी भी साक्षी से प्रश्न पूछ सकेंगे ।

(12) जहां कोई शिकायतकर्ता (परिवादी) हाज़िर नहीं होता हो, वहां प्रक्रिया का क्रम निम्नलिखित होगा :—

(i) रजिस्ट्रार, आरोपित व्यक्ति को सम्बोधित जांच का नोटिस कार्यकारिणी समिति को पढ़कर सुनाएगा और मामले के तथ्यों का कथन करेगा तथा कार्यकारिणी समिति के समक्ष इसके समर्थन में साक्ष्य पेश करेगा ।

(ii) तत्पश्चात् आरोपित व्यक्ति को अपने मामले का स्वयं या अपने विधि व्यवसायी के माध्यम से कथन करने और उसके समर्थन में सबूत प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा । वह कार्यकारिणी समिति को अपनी स्थिति या तो पहले या अपने सबूतों की समाप्ति पर, केवल एक बार स्पष्ट करेगा ।

(13) (1) मामले की समाप्ति पर कार्यकारिणी समिति, निजी रूप में, उस पर विचार–विमर्श करेगी, और विचार–विमर्श के निष्कर्ष पर अध्यक्ष, इस प्रश्न पर, कि क्या आरोपित व्यक्ति अधिनियम की धारा 41 के अधीन किसी कार्य का दोषी है, कार्यकारिणी समिति के मत की अपेक्षा करेगा ।

(2) यदि कार्यकारिणी समिति बैठक में बहुमत द्वारा, आरोपित व्यक्ति को धारा 41 के अधीन किसी कार्य का दोषी पाती है तो सभापति (चेयरमैन) परिषद् द्वारा पुष्टि के अध्यधीन, रजिस्ट्रार को उसका नाम रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों या दन्त यांत्रिकों के रजिस्टर से हटाने के लिए निर्दिष्ट करेगा । आदेश ऐसी पुष्टि की तारीख से तीन मास के अवसान तक प्रभावी नहीं होगा ।

(14) रजिस्ट्रार, ऐसे दन्त चिकित्सक, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी या दन्त यांत्रिक को उसके अंतिम ज्ञात पते पर तत्काल नोटिस भेजेगा, जिसका नाम, पूर्ववर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर से हटाया गया

है । रजिस्ट्रार, किसी ऐसे हटाए जाने की सूचना तत्काल उस / उन निकाय / निकायों को भी भेजेगा, जहां से ऐसे दन्त चिकित्सक, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी या दन्त यांत्रिक ने अपनी अर्हता(एं) प्राप्त की हों ।

अध्याय–10

अपीलें

16. (1) अधिनियम की धारा 41 के अधीन किए गए आदेश द्वारा व्यथित, ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को अपील दाखिल कर सकेगा ।

(2) ऐसी अपील पर सरकार का आदेश अन्तिम होगा ।

अध्याय–11

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

17. दन्त चिकित्सकों, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों और दन्त यांत्रिकों को परिषद् की मुहर लगा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र क्रमशः प्ररूप 6, 7 और 8 में जारी किया जाएगा ।

अध्याय–13

सम्पत्ति का प्रबंधन

18. (1) परिषद् की सम्पत्ति को हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् के नाम अधीन धारित किया जाएगा ।

(2) दन्त चिकित्सा परिषद् का रजिस्ट्रार, परिषद् की सम्पत्ति का भारसाधक होगा और इसके प्रबंधन, इसे उचित अभिरक्षा में रखने, अच्छी दक्ष दशा में रखने तथा इसे क्षय से संरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) रजिस्ट्रार स्टॉक रजिस्टर रखेगा जिसमें परिषद् की सम्पत्ति की समस्त वस्तुएं उनकी लागत और क्रय की तारीख दर्शाते हुए दर्ज की जाएंगी ।

(4) सम्पत्ति को किसी हानि या नुकसान की रजिस्ट्रार द्वारा तत्काल अध्यक्ष को रिपोर्ट की जाएगी, जिसे कार्यकारिणी समिति की सहमति से, दुर्घटना या आग से नष्ट वस्तुओं की लागत को अपलिखित करने हेतु सशक्त किया जाएगा ।

(5) एक साधारण रोकड़ बही रखी जाएगी जिसमें रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के अधीन, परिषद् की प्राप्ति और व्यय से सम्बन्धित समस्त संव्यवहार दर्ज किए जाएंगे तथा अतिशेष प्रत्येक मास के अन्त में दर्शाया जाएगा ।

(6) रजिस्ट्रार, परिषद् की ओर से प्राप्त राशि के लिए क्रम संख्याकित उचित मुद्रित रसीदें जारी करेगा ।

(7) रजिस्ट्रार उस धन के लिए, जो उसके हाथों से दिया जाता है, उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्राप्त धन यदि उस दिन जब इसे प्राप्त किया गया है बैंक बंद हो तो उससे अगले दिन अनुसूचित राष्ट्रीय बैंक में जमा कर दिया गया है ।

(8) अध्यक्ष को, परिषद् द्वारा मन्जूर बजट व्यवस्था के भीतर, परिषद् की ओर से सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल पारित करने और दावों की राशि परिषद् के सदस्यों को संदत्त करने तथा आकस्मिक व्यय पर व्यय उपगत करने के लिए परिषद् की ओर से प्राधिकृत किया जाएगा।

(9) धन, रजिस्ट्रार और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, लेखे से आहृत किया जाएगा ।

(10) परिषद्, रजिस्ट्रार के कार्यालय की बाबत आकस्मिक व्ययों के लिए अग्रदाय धन की राशि नियत करेगी जिसके लिए रजिस्ट्रार द्वारा एक आकस्मिक व्यय रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा, अध्यक्ष या परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चत किया जाए, कोई असाधारण व्यय उपगत नहीं किया जाएगा ।

(11) परिषद् के लेखों की लेखा–परीक्षा (संपरीक्षा), परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा या परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा की जाएगी।

अध्याय–14

प्रकीर्ण

19. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का अभ्यर्पण करने में असफलता.—यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों, दन्त यांत्रिकों के रजिस्टर से हटाया गया है, बिना पर्याप्त कारण के, यथास्थिति, अपना रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र या नवीकरण का प्रमाण–पत्र तत्काल अभ्यर्पित करने में असफल रहता है, तो वह जुर्माने से जो 1000/– रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और दो मास से अधिक जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो तत्पश्चात प्रतिदिन 100/– रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

20. लेखे और लेखा परीक्षा (संपरीक्षा).—(1) रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए चार्टर्ड एकाउंटैंट द्वारा प्रमाणित तुलन–पत्र की प्रति अन्ततः 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगा ।

(2) परिषद् लेखे, महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा (संपरीक्षा) के अध्यधीन होंगे ।

(3) रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को लेखा–परीक्षा (संपरीक्षा) रिपोर्ट भेजेगा और परिषद् के लेखों की प्रमाणित प्रति भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् को भेजेगा ।

परिशिष्ट प्ररूप 1
दन्त–चिकित्सकों का रजिस्टर (नियम 3 देखें)

क्रम संख्या	पूरा नाम	पिता का नाम	जन्म की तारीख	राष्ट्रीयता	आवासीय पता	प्रथम प्रवेश की तारीख	रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्हता	डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का नाम और उसकी तारीख	वृतिक पता	नियोजन या प्राइवेट प्रेक्टिस की हैसियत	नवीकरण या प्रत्यावर्तन की तारीख	धारा 41 या धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन हटाए जाने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

परिशिष्ट प्ररूप–2
दन्त–स्वास्थ्य विज्ञानियों और दन्त यांत्रिकों का रजिस्टर
[नियम 5 (1) देखें]

क्रम संख्या	पूरा नाम	पिता का नाम	जन्म की तारीख	राष्ट्रीयता	आवासीय पता	प्रथम प्रवेश की तारीख	रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्हता	डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का नाम और उसकी तारीख	वृतिक पता	नियोजन हैसियत	या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्ररूप–3

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन [नियम 8 (1) देखें]

सेवा में

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्,
शिमला ।

महोदय,

मैं———————, दन्त चिकित्सक / दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी / दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने हेतु निवेदन करता हूं और इसके साथ रजिस्ट्रीकरण हेतु मुझे हकदार बनाने वाली उपाधि प्रमाण–पत्र मूल रूप में, अग्रेषित करता हूं । कृपया वापस किए जाएं जब अपेक्षित न हों ।

निम्नलिखित दस्तावेजों / अपेक्षाओं की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं:—

1. अनुप्रमाणित फोटो (पासपोर्ट आकार)। 4 प्रतियां
2. दसवीं का प्रमाण–पत्र (आयु प्रमाण हेतु) ।
3. बी.डी.एस. की अन्तिम अंक सूची ।
4. प्रशिक्षणाधीन चिकित्सा (इन्टर्नशिप) प्रमाण–पत्र ।
5. दन्त चिकित्सक / दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी / दन्त यांत्रिक की बी.डी.एस. डिग्री / प्रमाण–पत्र ।
6. अधिवास प्रमाण–पत्र ।
7. निवास स्थान का प्रमाण–पत्र ।

संलग्नक: उपरोक्त ।

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम ———————
पता ———————

प्ररूप 4

हिमाचल प्रदेश राज्य दन्त चिकित्सा परिषद् के सदस्यों की विशिष्टियां दर्शित करने वाला रजिस्टर

[नियम 9 (1) देखें]

क्रम संख्या	नाम	पत्राचार / वृत्तिक पता	आवास / कार्यालय दूरभाष संख्या / मोबाईल संख्या	क्या नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित है	कार्यकाल के प्रारम्भ की तारीख	साधारण अनुक्रम में कार्यकाल के अवसान की तारीख	यदि नियुक्ति निगत तारीख से पूर्व समाप्त होती हो तो ऐसी तारीख तथा पूर्वतम समाप्ति के कारण (धारा-27)
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप–5

अधिनियम की धारा 41 के अधीन जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही में हाज़िर होने के लिए दन्त चिकित्सा व्यवसायी को नोटिस

[नियम 15 (4) देखें]

महोदय,

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् की समिति की ओर से, मैं आपको नोटिस देता हूं कि परिवाद (शिकायत) और साक्ष्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखे गए हैं, जिसके द्वारा परिवादी (शिकायतकर्ता) आपके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाते हैं, अर्थात:—

1.
2.
3.
4.
5.

यह सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 41 के अधीन आपकी परीक्षा की जानी अपेक्षित है और मुझे आपको नोटिस देने का निदेश दिया गया है कि आपके विरूद्ध ऊपर वर्णित आरोपों पर विचार करने और यह विनिश्चित करने के लिए, कि क्या उन्हें ऐसा निदेश करना चाहिए या नहीं कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 41 के अनुसरण में आपका नाम दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर से हटाया जाए, कार्यकारिणी समिति की बैठक तारीख ————————को ————————बजे————————के कार्यालय में आयोजित की जाएगी । आपसे उपरोक्त आरोपों का उत्तर लिखत में देने और ऊपर वर्णित आरोपों पर कोई प्रत्याख्यान या प्रतिरक्षा सिद्ध करने के लिए, उपरोक्त नामित स्थान एवं समय पर कार्यकारिणी समिति के समक्ष हाज़िर होने का अनुरोध किया जाता है तथा आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि आप ऐसे अनुरोध पर हाज़िर नहीं होते हैं तो कार्यकारिणी समिति सुनवाई करने के लिए अग्रसर हो सकेगी और उक्त आरोपों पर आपकी अनुपस्थिति में, विनिश्चय कर सकेगी ।

उक्त आरोपों के बारे में कोई उत्तर या संसूचना या आवेदन जिसे आप करना चाहें या उस पर आपकी प्रतिरक्षा अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित की जाएगी और इस प्रकार पारेषित की जाएगी ताकि उसके पास उक्त मामले के लिए नियत दिन से ————————दिन अन्यून पूर्व पहुंच जाएं ।

धारा 41 में निर्दिष्ट किसी जांच को संचालित करने हेतु प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 41 और नियमों की एक–एक प्रति आपकी जानकारी के लिए इसके साथ संलग्न है ।

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् ।

प्ररूप–6

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन दन्त चिकित्सकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

(नियम 17 देखें)

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति को दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के उपबन्ध के अधीन दन्त चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है :—

नाम:

पता:

अर्हता: (क)————(ख)————(ग)————

रजिस्ट्रीकरण संख्या : ————————————

रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ————————————

भाग, जिसमें रजिस्ट्रीकृत है : ————————————

मुद्रा : ————————————

हस्ताक्षर ————————————

रजिस्ट्रार,

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्।

उसके रजिस्ट्रीकरण को अन्तिम बार को नवीकृत किया गया
यह प्रमाण पत्र ————————तक प्रवृत्त रहेगा ।

महत्वपूर्ण सूचना

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सक को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व नवीकृत करने हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए तथा उन समस्त प्रश्न चिन्हों का उत्तर भी देना चाहिए जो उसे, उस सम्बन्ध में, रजिरट्रार द्वारा भेजे जाएं ताकि उसका सही पता रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके अन्यथा दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन ऐसा दन्त चिकित्सक अपना नाम रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा।

प्ररूप–7

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

(नियम 17 देखें)

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति को दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी चिकित्सक अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है :—

नाम:

पता:

अर्हता: (क)————(ख)————(ग)————

रजिस्ट्रीकरण संख्या : ————————

रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ————————

भाग, जिसमें रजिस्ट्रीकृत है : ————————

मुद्रा : ————————

हस्ताक्षर ————

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्।

उसके रजिस्ट्रीकरण को अन्तिम बार को नवीकृत किया गया
यह प्रमाण पत्र ————तक प्रवृत्त रहेगा ।

महत्वपूर्ण सूचना

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व नवीकृत करने हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए तथा उन समस्त प्रश्न चिन्हों का उत्तर भी देना चाहिए जो उसे, उस सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार द्वारा भेजे जाएं, ताकि उसका सही पता रजिस्ट्रीकृत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों के रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके अन्यथा दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन ऐसा दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी अपना नाम रजिस्ट्रीकृत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों के रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा ।

प्ररूप–8

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन दन्त यांत्रिक के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

(नियम 17 देखें)

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति को चिकित्सक अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है :–

नाम:

पता:

अर्हता: (क)————————(ख)————————(ग)————————

रजिस्ट्रीकरण संख्या : ————————————

रजिस्ट्रीकरण की तारीख ; ————————————

भाग, जिसमें रजिस्ट्रीकृत है : ————————————

मुद्रा ; ————————————

हस्ताक्षर ————————————

रजिस्ट्रार,

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्।

उसके रजिस्ट्रीकरण को अन्तिम बार को नवीकृत किया गया
यह प्रमाण पत्र ————————तक प्रवृत्त रहेगा ।

महत्वपूर्ण सूचना

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत **दन्त यांत्रिक** को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व नवीकृत करने हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए तथा उन समस्त प्रश्न चिन्हों का उत्तर भी देना चाहिए जो उसे, उस सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार द्वारा भेजे जाएं ताकि उसका सही पता रजिस्ट्रीकृत **दन्त यांत्रिक** के रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके अन्यथा दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन ऐसा **दन्त यांत्रिक** अपना नाम रजिस्ट्रीकृत **दन्त यांत्रिकों** के रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा ।

प्ररूप–9

[नियम 7 का उप–नियम (5) देखें]

सेवा में

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्,
शिमला ।

तारीख शिमला–9,.....

महोदय,

दन्त चिकित्सक / दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी / दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत मैं———————, आपको एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र (नवीकरण का प्रमाण–पत्र) खो गया / नष्ट हो गया है। रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र के नष्ट होने सम्बन्धी शपथ–पत्र संलग्न हैं ।

संदत्त की गई अपेक्षित फीस की रसीद भी संलग्न है ।

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया मुझे प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति शीघ्रतम जारी की जाए ।

संलग्नक: शपथ–पत्र और रसीद ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम ———————

वर्तमान पता ———————

वृतिक पता ———————

शपथ पत्र

(8/- रुपये का स्टाम्प पत्र)

मैं .... पुत्र श्री .... आयु .... वर्ष, निवासी ...., एतद्द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं दन्त चिकित्सक/दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी/दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं ।

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण संख्या .... वाला रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र खो गया/नष्ट हो गया है ।

उपरोक्त विवरणित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं, और कोई परिणाम, यदि अन्यथा सिद्ध होते हैं तो मैं उसके लिए उत्तरदायी होऊंगा ।

स्थान——————

शिमला ....

अभिसाक्षी ।

दूसरी प्रति

प्ररूप 10

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन दन्त चिकित्सकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

[नियम 7 का उप नियम (5) देखें]

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति को चिकित्सक अधिनियम, 1948 के उपबन्ध के अधीन दन्त चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है :-

नाम :

पता :

अर्हता: (क)—————— (ख)—————— (ग)——————

रजिस्ट्रीकरण संख्या : ——————————

रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ——————————

भाग, जिसमें रजिस्ट्रीकृत है : ——————————

मुद्रा : ——————————

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार,

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्।

उसके रजिस्ट्रीकरण को अंतिम बार को नवीकृत किया गया

यह प्रमाण पत्र —————— तक प्रवृत्त रहेगा ।

महत्वपूर्ण सूचना

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सक को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व नवीकृत करने हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए तथा उन समस्त प्रश्न चिन्हों का उत्तर भी देना चाहिए जो उसे, उस सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार द्वारा भेजे जाएं ताकि उसका सही पता रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके अन्यथा दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन ऐसा दन्त चिकित्सक अपना नाम रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा ।

दूसरी प्रति

प्ररूप – 11

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

[नियम 7 का उप–नियम (5) देखें]

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के उपबन्ध के अधीन दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

नाम :

पता:

अर्हता: (क)————————(ख)————————(ग)————————

रजिस्ट्रीकरण संख्या : ————————————

रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ————————————

मुद्रा : ————————————

हस्ताक्षर ————————

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद।

उसके रजिस्ट्रीकरण को अन्तिम बार को नवीकृत किया गया
यह प्रमाण पत्र ————————तक प्रवृत रहेगा ।

महत्वपूर्ण सूचना

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व नवीकृत करने हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए तथा उन समस्त प्रश्न चिन्हों का उत्तर भी देना चाहिए जो उसे, उस सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार द्वारा भेजे जाएं ताकि उसका सही पता रजिस्ट्रीकृत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी के रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके अन्यथा दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन ऐसा दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी को अपना नाम रजिस्ट्रीकृत दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों के रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा ।

दूसरी प्रति

प्ररूप 12

हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन दन्त यांत्रिकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

[नियम 7 का उप-नियम (5) देखें]

फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के उपबन्ध के अधीन दन्त यांत्रिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

नाम:

पता:

अर्हता: (क)————(ख)————(ग)————

रजिस्ट्रीकरण संख्या : ————

रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ————

मुद्रा : ————

हस्ताक्षर ————

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् ।

उसके रजिस्ट्रीकरण को अन्तिम बार को नवीकृत किया गया

यह प्रमाण पत्र ————तक प्रवृत रहेगा ।

महत्वपूर्ण सूचना

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत **दन्त यांत्रिक** को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व नवीकृत करने हेतु सतर्क रहना चाहिए और अपने पते में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए तथा उन समस्त प्रश्न चिन्हों का उत्तर भी देना चाहिए जो उसे, उस सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार द्वारा भेजे जाएं ताकि उसका सही पता रजिस्ट्रीकृत **दन्त यांत्रिक** के रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके अन्यथा दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 39 की उप–धारा (2) के अधीन ऐसा दन्त यांत्रिक को अपना नाम रजिस्ट्रीकृत **दन्त यांत्रिकों** के रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा ।

प्ररूप–13

[नियम 7 का उप–नियम (7) देखें]

सेवा में

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्,
शिमला।

तारीख : शिमला–9, ...

विषय :– "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" जारी करना ।

महोदय,

मैं,————————————,एतद्द्वारा, हिमचल प्रदेश राज्य से, दन्त चितिक्सकों के रजिस्टर से अपना नाम अंतरित करने हेतु आवेदन करता हूं । मेरी रजिस्ट्रीकरकण संख्या————————है । मैंने अपनी————————तक की नवीकरण फीस चुका दी है और मेरे विरूद्ध कोई देय लम्बित नहीं है । मैं अब————————————में दन्त चिकित्सा का व्यवसाय कर रहा हूं। नए पते का प्रमाण (विद्युत बिल/टेलिफोन बिल/राशन कार्ड/फोटो पहचान–पत्र/पास पोर्ट की अनुप्रमाणित प्रति) संलग्न की जा रही है ।

यह भी कथन किया जाता है कि मेरे विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है । अपेक्षित फीस की 500/– रुपये की राशि रसीद संख्या ————————————द्वारा जमा कर दी गई है ।

अतः यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य के रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर से मेरा नाम ————————————राज्य में दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर को अंतरण बारे "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" मुझे जारी करने की कृपा करें ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम ————————————

वर्तमान पता ————————————

वृतिक पता ————————————

संलग्नकः उपरोक्त

प्ररूप–14

"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"

[नियम 7 का उप–नियम (7) देखें]

डॉक्टर/श्री/सुश्री————————————, रजिस्ट्रीकरण संख्या————————————का नाम रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर से ————————————राज्य को अंतरित करने के लिए कोई अनापत्ति नहीं है ।

डॉक्टर/श्री/सुश्री————————————, के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है ।

डॉक्टर/श्री/सुश्री————————————, ने अद्यतन नवीकरण फीस ससंदत्त कर दी है, और उसके विरूद्ध कुछ भी देय नहीं है ।

अधोहस्ताक्षरी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्।

मुद्रा

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)।

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 27th June*, 2007

No. HFW-B (A) 2-18/2004.—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the said Act, namely:—

Chapter-I

PART–I—Preliminary

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Registration of dentists, dental hygienists and dental mechanics Rules, 2007.

2. *Definition.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Act" means the Dentists Act, 1948 (Central Act No. 16 of 1948);

(b) "Council" means the "Himachal Pradesh Dental Council" constituted under section 21; of the Act;

(c) "Director" means the Director, Dental Health Services, Himachal Pradesh;

(d) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Himachal Pradesh Dental Council, constituted under section 29 of the Act;

(e) "Form" means a Form appended to these rules;

(f) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Member" means the member of the Council;

(h) "President" means the President of the Himachal Pradesh Dental Council, elected under section 25 of the Act;

(i) "Registrar" means the Registrar appointed under section 28 (a) of the Act;

(j) "Section" means the section of the Act; and

(k) "Vice President" means the Vice President of the Council, elected under section 25 of the Act.

(2) The words and expression used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter-II

COMPILATION AND PUBLICATION OF THE HIMACHAL PRADESH DENTAL REGISTERS

3. *Preparation of dental Register.*—The Himachal Pradesh Dental Register shall be maintained in Form I.

4. *Register of dentists.*—(1) The Registrar shall maintain the register of dentists in two parts A and B under section 31. The persons possessing recognized dental qualification being registered in Part-A, and persons not possessing such qualifications being registered in Part-B, as the case may be, in alphabetical order and sufficient space shall be left for future additions and alterations.

(2) Each page of the register shall be verified by the Registrar by affixing his signatures.

5. *Registers of dental hygienists and dental mechanics.*—(1) The Registrar shall maintain the register of dental hygienists and dental mechanics in Form-II under section 36 of the Act. The names of persons entitled to be registered in the register of dental hygienists or dental mechanics respectively, under sections 37 and 38 shall be entered in alphabetical order and sufficient space shall be left for future additions and alterations.

(2) Each page of the register shall be verified by the Registrar by affixing his signatures.

6. *Printing of the Register.*—The Registrar shall, in every year as soon as may be, after the 1st day of April, in each year, cause the registers to be printed as they stood on the said date and copies shall be made available to persons applying therefor—for on payment of fee under these rules and it shall be the evidence that on the said date the persons whose names are entered therein were registered as dentists or dental hygienists or dental mechanics, as the case may be.

Chapter-III

FEES

7. *Fee for registration or renewal.*—(1) Every application for registration as dentist shall be accompanied by a fee of Rs. 500/- in cash or through a Demand Draft payable in favour of Registrar under sub-section (2) of section 32.

(2) Every registered dentist shall pay a renewal fee of Rs. 100/- under section 39 before the 1st day of April of the year to which it relates.

(3) The Registrar shall restore the name of the person whose name was struck of due to non-payment of renewal fee by due date under sub-section (2) of section 39 on payment of fee of Rs.500/- and an uptodate payment of renewal fee.

(4) (i) Every application for registration as dental hygienist/dental mechanic shall be accompanied by a fee of Rs. 250/-.

(ii) Every registered dental hygienist/dental mechanic shall pay a renewal fee of Rs. 50/- before the 1st day of April of the year to which it relates, under section 39.

(iii) The Registrar shall restore the name of the person whose name was struck off due to non-payment of renewal fee by the due date under sub section (2) of section 39, on payment of sum of Rs. 250/- and uptodate payment of renewal fee.

(5) The Registrar shall issue duplicate certificate of registration in Form X, XI and XII under section 44 on receipt of application on Form IX on payment of the fee amounting to Rs. 250/- subject to the production of an affidavit by the registered dentist or dental hygienist or dental mechanic, as the case may be, if the certificate of registration has been lost or destroyed.

(6) The Registrar shall make additional entry in the register of dentists under section 40 of any further recognized (dental) qualification which a registered dentist may obtain, on payment of the fee of Rs. 250/- to the Registrar, Lady Dentist or Dental Mechanic or Dental Hygienist, as the case may be, whose names are changed on account of their marriages shall, however be exempted from the payment of this fee.

(7) The Registrar shall issue No Objection Certificate on Form XIV for transfer of registration to a registered Dentist under section 46-A from the State of Himachal Pradesh to another State on payment of a fee of Rs. 500/-, only when such application on Form XIII has been made bona-fide.

(8) The Registrar shall make available the printed copies of the registers on payment of fee of Rs. 100/- under section 45.

(9) The Registrar shall restore the name of the person whose name has been struck off under section 41, to the register subject to approval of the Government, on payment of the fee of Rs. 500/-.

(10) The Registrar shall receive all fees payable under the Act in cash or through a demand draft payable in his favour and credit them to the account of the State Council in a scheduled bank.

Part-IV

REGISTRATION, REMOVAL AND RESTORATION OF NAME TO THE REGISTER

8. *(1) Procedure for Registration.*—Every application for registration shall be in Form III and shall be accompanied by fee as prescribed under these rules.

(2) The application shall be supported by such documentary evidence that the applicant holds recognized dental qualifications as required under sections 33,34,37 and 38.

(3) (i) The Council may for reasons appearing to it sufficient and subject to the approval of the Government, or that upon payment of a fee of Rs. 500/- by cash or through a demand draft payable in favour of Registrar the name of the person removed from a register under section 41, shall be restored thereto.

(ii) The Registrar shall restore the name of the person whose name has been struck off for non-payment of renewal fee by the due date under sub-section (2) of section 39 to the register, on payment of the prescribed fee.

Chapter-V

APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE COUNCIL

9. *Maintenance of register.*—(1) The Registrar shall maintain the particulars regarding appointment of members of the Council in Form IV.

(2) Ninety days before the expiration of the term of office of any member appointed on the Council, the Registrar shall make a report in writing regarding the vacancy to the President if the vacancy to be filled up is in respect of an elected member and to the Government through the President in case the vacancy is to be filled up in respect of a nominated member.

(3) If a casual vacancy occurs in the office of a member of the Council earlier to the expiry of his term of office through resignation, death, removal or disability of such member or otherwise, the Registrar shall make a report in writing regarding the vacancy to the President if the vacancy is in respect of an elected member and to the Government through the President in case the vacancy is in respect of a mentioned member.

(4) A vacancy occurring in any manner whatsoever in relation to an elected member shall be filled up by election in the manner provided under the Himachal Pradesh Dental Council (Election) Rules, 1999.

Chapter-VI

MEETINGS OF THE COUNCIL

10. *Meetings*— (1) A meeting of the Council shall be either ordinary or special and except as otherwise provided under the Act and the rules framed thereunder, the meetings of the Council shall be convened by the Registrar.

(2) The Council shall ordinarily meet at least twice a year for the transaction of its business.

(3) Notice of every meeting specifying the time and date thereof and the business to be transacted therein shall be sent to every member of the Council and exhibited at the office of the Council not less than ten clear days before an ordinary meeting and seven clear days before a special meeting :

Provided that wherever it is considered expedient to do so in the public interest the requirement of time limits specified in this sub-rule may be relaxed with the approval of the State Government.

(4) The President or in his absence the Vice-President, may whenever he thinks fit, and shall on requisition made in writing by not less than one third of the total members of the Council or if required by the State Government, may convene a special meeting within two weeks of receipt of

written requisition of the members or the requirement/directions of the Government as the case may be.

(5) Every member attending a meeting shall enter his name and put his signature in the roll book maintained by the Registrar on the date of such attendance.

(6) Any meeting of the Council may, with the consent of the majority of the members present, be adjourned to any other date, but no business other than that left over at the adjourned meeting shall be transacted in the next such meeting.

(7) At every meeting of the Council, the President, if present, or in his absence, the Vice-President, and in the absence of both, one of its members, as the members may elect, shall preside over.

(8) Except, as otherwise provided by these rules all issues/matters coming up before any meeting of the Council shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and, in case of any equality of votes, the authority presiding at the meeting shall have a second or casting vote.

(9) Any matter finally disposed of by the Council shall not be reconsidered unless the recorded consent of not less than two third of its total members have been obtained thereto or unless the Government has directed its reconsideration.

(10) Subject to the provision of these rules, for the transaction of business at a meeting of the Council the quorum shall be as under:—

(a) if it is an ordinary meeting, one half of its members having a right to vote; and

(b) if it is a special meeting, two thirds of its members having a right to vote.

(11) (a) Any member may mover a resolution relating to a matter connecting the functioning of the Council.

(b) The President shall decide on the admissibility of a resolution and disallow any resolution which, in his opinion is in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder. The decision of the President on the question of admissibility shall be final.

(c) The resolution shall neither contain arguments, inferences; ironical expressions of defamatory statements nor shall it refer to the character or the conduct of any person in his public capacity.

(d) No resolution can be moved in respect of any matter which is subjudice in a Court of law.

(e) A member who wishes to move a resolution shall give at least six clear days notice in writing of his intention alongwith the copy of the resolution :

Provided that the President may, for reasons to be stated by him, allow a resolution to be entered in the list of business with a notice of less than six days.

(f) If the member moving resolution is absent, the resolution moved by him shall stand cancelled.

(g) Every resolution moved shall be required to be seconded by a member.

(h) The discussion on a resolution shall be strictly limited to the subject matter of the resolution.

(12) *When a resolution is under debate, no further proposal shall be received, except in relation to amendment, postponement and adjournment of the resolution; adjournment of the Council and voting on the resolution.

(13) *When an amendment of resolution is under debate, no further proposal shall be received, except regarding adjournment of the debate on the amendment of the resolution, adjournment of the Council and voting on the amendment of the resolution.

(14) If the proposal for the adjournment of the debated on the amendment of resolution is carried, the Council shall pass to the next item on the programme of business, and the debate shall be resumed at the next ordinary meeting of the Council. The proposer of the adjournment shall, on resumption of the debate, be entitled to speak first.

(15) If the proposal for the adjournment of the Council is carried, the resolution under debate shall be dropped from the list of the business.

(16) On the proposal for the adjournment of the Council being made and seconded, it shall be within the competence of the President or Chairman, as the case may be, before putting the proposal to vote, to take the opinion of the members as to whether it shall, before rising proceed to the transaction of unopposed business.

(17) The proposal for the closure shall be made and seconded without debate and shall, unless the president rules otherwise, to be put forthwith to vote. In the event of the proposal being carried, the resolution or amendment under debate shall be at once voted on by the Council.

(18) The proposal for the previous question shall be made and seconded without debate, and be put forthwith. In the event of the proposal being carried, the resolution or amendment to which it applies shall be dropped from the list of the business.

(19) The President may, in case of grave disorder arising in the meeting, suspend any sitting and convene the meeting again at any time fixed by him.

(20) The President may direct any member, who in his opinion is guilty of breach of order, to withdraw immediately from the meeting of the Council and any member so ordered shall withdraw forthwith.

(21) The Registrar shall record the proceedings of the meeting of the Council in the form of printed minutes, duly authenticated, after confirmation by the signature of the President.

(22) The Registrar shall send a copy of the minutes of the meeting to each member and to the Government through the President within seven days of the meeting.

(23) The minutes shall be taken as read:

Provided that any member may move that a certain minute be read with a view to such correction therein or addition thereto as may be found necessary.

(24) The Registrar shall keep the minutes of the meeting of the Council after final revision if any, for insertion in the yearly volume.

11. *Executive Committee.*—(1) The Council shall constitute from amongst its members an Executive Committee under section 29 of the Act consisting of—

(a) President;

(b) Vice-President;

(c) Director, Dental Health Services, Himachal Pradesh;

(d) Director, Health Services, Himachal Pradesh ex officio;

(e) Principal, Himachal Pradesh Government Dental College and Hospital, Shimla; and

(f) Two members to be selected by the Council.

(2) The President and Vice-President of the Council shall be Chairman and Vice-Chairman, respectively, of the Executive Committee.

(3) Two-third of the members of the Executive Committee shall form a quorum. The notice of the meeting of the Executive Committee shall be sent to the members not less than seven days before the date of the meeting.

(4) The meeting of the Executive Committee shall be held not less than a fortnight before the meeting of the Council and its requested to be consult shall be circulated to the members before the meeting of the Council.

(5) The Executive Committee shall perform the following functions namely:—

(a) Supervision of the publication of the Himachal Pradesh Dentists Register.

(b) Drafting of business other than notices of resolutions and amendments notified by members and to submit its recommendations thereon.

(c) Obtaining such information from Universities and other examining bodies as may be necessary to facilitate the administration of the Act.

(d) Calling for the particulars of the results of professional examinations and submit them to the Council annually with necessary comments thereon.

(e) Considering and forwarding to the Government reports on the inspections of the examinations under section 15 of the Act.

(f) Submitting complaints for failure to surrender certificate of registration.

(g) Recommending removal of names from Part-A/Part-B of Dentists Dental Mechanics/Dental Hygienists register to the Council under section 41.

(h) Considering any other business referred to it by the Council.

Chapter-VII

STAFF OF THE COUNCIL

12. *Registrar.*—(1) The Council shall, with the previous sanction of the State Government, appoint a Registrar, who shall also act as Secretary and Treasurer of the Council. The Registrar shall preferably be a graduate Dentist, with ten years of service or ten years of experience as a registered practitioner. He shall be appointed on part time basis on fixed honorarium provided under the rules for a term of five years.

(2) The President shall forward the panel of three names for the consideration of State Government for the post of the Registrar of the Council.

(3) The Registrar shall be paid and an honorarium of rupees five thousand per month by the Council.

(4) The Registrar shall fulfill all the duties that may be entrusted to him under the Act, and the rules framed thereunder.

(5) The Registrar, as Secretary, shall conduct the meetings of the Council and shall have charge of the correspondence of the Council.

(6) The Registrar shall by the 15th of January of every year prepare a statement of income and expenditure of the preceding calendar year and draw the attention of the Council to such matters as seems to him deserving attention.

(7) The Registrar shall be authorized in incur an expenditure upto Rs. 250/- and the president be authorized to incur an expenditure above Rs. 200/-.

(8) The Registrar shall report all expenditure sanctioned by the President or incurred by him, to the Council in its next meeting.

(9) The Registrar shall place any amount in excess of current requirement in fixed deposits. The fixed deposit in the name of Council shall placed in the locker with the Scheduled National Bank for safe custody.

(10) The office of Registrar shall function from 10.00 hours to 14.00 hours on all working days. The office shall however remain closed on all Gazetted Holidays, Second Saturdays, Sundays, Local holidays declared by Deputy Commissioner Shimla and any other holiday duly notified by the State Government.

(11) The Council shall hire a legal practitioner with the previous sanction of the Government to obtain legal advice and giving assistance to the Executive Committee to deal with complaints against dentist, dental hygienist or dental mechanic and to act as standing counsel of the Council in legal cases in court of law in the State on the terms and conditions as approved by Government from time to time.

(12) The Council shall appoint one Clerk having adequate work experience as data entry operator, with the previous sanction of the Government on part time basis on a fixed honorarium of rupees two thousand five hundred per month for a term of five years.

(13) The Council shall appoint one peon, with the previous sanction of the Government, on part time basis on a fixed honorarium of rupees one thousand per month for a term of five years. Preference shall be given to Class IV employees retired on superannuation from Government service.

(14) The Council shall appoint one Safai Karamchari, with the previous sanction of the Government, on part time basis on a fixed honorarium of rupees one thousand per month for a term of five years.

13. The Council shall have the authority to terminate the appointments made under the rules by giving one month notice.

Chapter-VIII

TRAVELLING ALLOWANCE AND FEES

14. (1) The Members shall be paid TA/DA as per their entitlements by adhering and limiting to the instructions of Finance Department issued from time to time as admissible to grade-I Officers in the State.

(2) The Employees of the Council shall be entitled to Traveling Allowance at the same rates as the Government servants of the same status, under the Himachal Pradesh State Government Employees Travelling allowance and Daily Allowance rules, are entitled.

Chapter-IX

PART-IX—PROCEDURE TO BE FOLLOWED IN CONDUCTING AN ENQUIRY

15. (1) The Registrar shall make an abstract of complaint received by him regarding the registered dentist or dental hygienist or dental mechanic, hereinafter referred to as charged person, which prima facie constitutes infamous conduct in professional respect.

(2) The Registrar shall take the cognizance of only such complaints which are made in writing bearing the mailing address of the complainant and duly supported by two references. The Registrar shall ignore anonymous complaints.

(3) The Registrar shall submit the complaint alongwith the evidence submitted by the complainant in support of his complaint and the abstract prepared by him to the President who shall, if he thinks fit, instruct the Registrar to ask the charged person against whom complaint has been made for any explanation he may wish to offer.

The document including any explanation forwarded by the said charged person shall then be referred to the Executive Committee who shall consider the same and shall have power to cause further investigation to be made and further evidence to be taken, and if necessary refer the case to a legal practitioner, for his advice and assistance, as it shall think fit.

(4) The Registrar shall institute an enquiry by issuing a notice in Form V, on behalf of the Executive Committee addressed to the charged person by registered post. Such notice shall specify the nature and particulars of the charges and shall inform the said charged person of the day, time and venue, on which the Executive Committee intends to deal with the case and shall call upon him to answer the charges in writing and to attend the said Committee on that day. The Registrar shall also inform the complainant by registered post of the day, time and venue of the enquiry, and direct him to appear before the Executive Committee with evidence in support of the complaint against the charged person.

(5) The Registrar shall send the notice to the charged person, with such variations as circumstances may require. It shall be sent three weeks before the date of enquiry and shall be accompanied by a copy of section 41 of the Act, and a copy of the rules to regulate the procedure for conducting an enquiry.

(6) The Registrar shall supply a copy of complaint and evidence in support of complaint given to the Council by the complainant, upon written request made by the charged person or his legal practitioner.

(7) The Registrar shall supply a copy of the reply and evidence in support of the reply given to the Council by the charged person, upon written request made by the complainant or his legal practitioner.

(8) The President shall deal any answer, evidence or statement forwarded or application made by the charged person, between the date of issue of the notice and the date fixed for hearing of the charge, in such manner as he thinks fit.

(9) The Registrar shall send the copies of all the material documents which are to be produced before the Executive Committee as evidence to the President before the hearing.

(10) The complainant as well as the charged person may be represented or assisted by a legal practitioner at the hearing of the case by the Executive Committee.

(11) Where a complainant appears personally or through a legal practitioner the order of procedure shall be as follows:—

(1) The Registrar shall read to the Executive Committee the notice of the enquiry addressed to the charged person.

(2) The complainant shall then be invited to state his case by himself or through his legal representative and to produce the proofs in support of the same.

(3) The charged person shall then be invited to state his case by himself or through his legal practitioner, and to produce the evidence in support of the same. He may explain his position to the Executive Committee either before or at the conclusion of his evidence, but only once.

(4) At the conclusion of the charged person's explanation, the Executive Committee shall, if the charged person has produced the evidence, hear the complainant in reply on the case generally, but shall hear no further evidence, except in a special case where the Executive Committee thinks it appropriate to receive such further evidence. The complainant shall not be heard in reply, except by special leave of the Executive Committee.

(5) Where a witness is produced by any party before the Executive Committee the same shall first be examined by the party producing such witness and then cross examined by the opposite party, and then re-examined by the party who has produced the said witness. The Executive Committee may decline to admit in evidence any statement where the witness is not present, or declines to submit to cross-examination.

(6) The Chairman and the members of the Executive Committee through the Chairman may put questions to any witness.

(12) Where no complainant appears, the order of procedure shall be as follows:—

(1) The Registrar shall read to the Executive Committee the notice of inquiry addressed to the charged person and shall state the facts of the case and produce before the Executive Committee the evidence by which it is supported.

(2) The charged person shall then be invited to state his case by himself or through his legal representative and to produce the proof in support of the same. He shall explain his position to the Executive Committee either before or at the conclusion of his proofs but only once.

(13) (1) The Executive Committee shall, upon the conclusion of the case, deliberate thereon on private, and at the conclusion of the deliberations the President shall call upon the Executive Committee's vote on the question whether the charged person is guilty of any act under section 41 of the Act.

(2) If the Executive Committee by a majority, voting at the meeting find the charged person guilty of any act under section 41, the Chairman shall direct the Registrar to delete his name from the register of registered dentists, dental hygienists or dental mechanics, **subject to confirmation by the**

Council. The order shall not take effect until the expiry of three months from the date of such confirmation.

(14) The Registrar shall forthwith send notice to such dentist, dental hygienist or dental mechanic by registered letter addressed on his last known address, whose name has been removed from the register in accordance with the provisions of the preceding rules. The Registrar shall also forthwith send intimation of any such removal to the body or bodies from whom such dentist, dental hygienist or dental mechanic, has got his qualification or qualifications.

Chapter-X

APPEALS

16. (1) A person aggrieved by an order made under section 41 of the Act, may, within thirty days from the date of issue of such order, file an appeal to the Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

(2). The order of the Government upon such appeal shall be final.

Chapter-XI

CERTIFICATE OF REGISTRATION

17. The certificate of registration to the dentists, dental hygienists and dental mechanics bearing the seal of the Council shall be issued in Form VI, VII and VIII respectively.

Chapter-XII

PART-XII—THE MANAGEMENT OF THE PROPERTY

18. (1) The property of the Council shall be held under the name of the Himachal Pradesh Dental Council.

(2) The Registrar of the Dental Council shall be in charge of the property of the Council and shall be responsible for its management, for keeping it in proper custody, in good efficient condition and for protecting it from deterioration.

(3) The Registrar shall maintain a stock register in which all the articles of the property of the Council showing cost and date of their purchases shall be entered.

(4) Any loss or damage to the property shall forthwith be reported by the Registrar to the President who shall be empowered to write off the cost of the articles vanished through accident or fire with the concurrence of the Executive Committee.

(5) A simple cashbook shall be maintained in which all transactions relating to receipt and expenditure of the Council shall be entered under the signature of the registrar and balance reflected at the end of each month.

(6) The Registrar shall issue proper printed receipts bearing serial numbers for the amount received on behalf of the Council.

(7) The Registrar shall be responsible for the money which passes through his hands and ensure that the money received is credited into the Scheduled National Bank on the day following that on which it is received if on such day the bank is closed.

(8) The President shall be authorized on behalf of the Council to pass travelling allowance bills of the members and to pay the amounts to the members of the Council and to incur expenditure on contingencies within the budget provision sanctioned by the Council.

(9) The money shall be drawn from the account the joint signatures of the Registrar and the President.

(10) The Council shall fix the amount of imprest money for the contigent expenses in respect of the office of the Registrar for which a contigent register shall be maintained by the Registrar. No extra ordinary expenditure shall be incurred by the Registrar without the previous approval of the President or the Council as may be decided by the Executive Committee.

(11) The accounts of the Council shall be audited by the Examiner, Local Fund Accounts or by any duly authorized agency as approved by the Council.

Chapter-XIII

PART-XIII-MISCELLANEOUS

19. *Failure to Surrender Certificate of Registration.*—If any person whose name has been removed from register of the registered dentists, dental hygienists or dental mechanics fails without sufficient cause forthwith to surrender his certificate of registration or certificate of renewal, as the case may be, he shall be punishable with fine which may extend to Rs. 1000/- and in case of continuing offence beyond two months with an additional fine which may extend to Rs. 100/- per day thereafter.

20. *Accounts and Audit.*—(1) The Registrar shall submit to the Government through the President, the copy of the balance sheet certified by the Chartered Accountant for the financial year ending on 31st March latest by 30th of April.

(2) The accounts of the Council shall be subject to annual audit by Accountant General of Himachal Pradesh, or any person appointed by him in this behalf.

(3) The Registrar shall submit the audit report to the Government through the President and shall send the certified copy of the account of the Council to Dental Council of India.

APPENDIX

FORM I

Register of Dentists

(See rule 3)

1	2	3	4	5	6	7
Sl. No.	Name in Full	Father's Name	Date of Birth	Nationality	Residential Address	Date of first admission

8	9	10	11	12	13
Qualification for Registration	Name of University granting Degree and Date thereof	Professional address	Status of Employment or Private Practice	Date of Renewal or Date of Restoration	Date of Removal under section 41 or sub-section (2) of section 39

FORM II

Register of Dental Hygienists and Dental Mechanics

[See rule 5(1)]

1	2	3	4	5	6	7
Sl. No.	Name in Full	Father's Name	Date of Birth	Nationality	Residential Address	Date of first admission

8	9	10	11	12	13
Qualification for Registration	Name of Institution granting Certificate and Date thereof	Professional address	Status of Employment	Date of Renewal or Date of Restoration	Date of Removal under section 41 or sub-section (2) of section 39

FORM III
APPLICATION FOR REGISTRATION
[See rule 8(1)]

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Dental Council,
Shimla.

Subject: —Application for registration as Dentist/Dental Hygienist/Dental Mechanic.

Sir,

I _____ beg to apply for registration as a Dentist/Dental Hygienist/Dental Mechanic and forwarded herewith in original the degree/certificate entitling me for registration. The original degree/certificate may please be returned when no longer required.

The attested copy of the following documents/requirements is enclosed alongwith:

1. Attested Photographs (passport size) 4 copies
2. Matriculation Certificate (Date of Birth)
3. Final BDS mark sheet.
4. Internship certificate.
5. B.D.S. Degree/Certificate of Dental Hygienist/Dental Mechanic.
6. Domicile Certificate
7. Proof of residence.

Yours faithfully,

Signature

Name _____

Address _____

_____

_____

Encl.: As above.

FORM IV

Register showing the particulars of the Members of the Himachal Pradesh State Dental Council

[See rule 9 (1)]

Sl. No.	Name	Correspondence/ Professional Address	Residence/ Office Telephone No. Mobile No.	Whether nominated or elected	Date Commencement of tenure	Date on which the terms is to expire in the ordinary course	If the appointment terminates before the due date then the date and reason of earlier termination (section 27)

FORM V

Notice to Dental Practitioner to attend proceedings in connection with the inquiry under section 41 of the Act

(See rule 19)

Sir,

On behalf of the Executive Committee of the Himachal Pradesh Dental Council, I give you notice that complaint and evidence has been laid before the Executive Committee by which the complainants make the following charge against you, namely:—

1.
2.
3.
4.
5.

and that in relation thereto you are required to be examined under section 41 of the Act.

And I am directed further to give you notice that on dated ----------a meeting of the Executive Committee will be held at ---------o'clock in the office of ----------to consider the above mentioned charges against you and decide whether or not they should direct that your name be removed from the Register of Registered Dentists pursuant to section 41 of the Dentists Act of 1948. You are requested to answer in writing the above charges and to attend before the Executive Committee at the above named place and time to establish any denial or defence that you may have to make to the above mentioned charges and you are hereby informed that if you do not attend as requested, the Executive Committee may proceed to hear and to decide upon the said charges in your absence.

Any answer or communication or application which you may desire to make respecting the said charges or your defence thereto must be addressed to the Registrar of Himachal Pradesh Dental Council and transmitted so as to reach him not less than----------days before the day appointed for the case.

A copy each of section 41 of the Dentists Act, 1948, and of the rules to regulate the procedure for conducting any enquiry referred to in that section are enclosed herewith, for your information.

Registrar
Himachal Pradesh
Dental Council .

FORM VI
HIMACHAL PRADESH DENTAL COUNCIL
CERTIFICATE OF REGISTRATION, DENTISTS
UNDER THE DENTISTS ACT, 1948
(See rule 32)

Photograph

This is to certify that the person named below has been registered as a Dentist under the provision of the Dentists Act, 1948.

Name ______________________

Address ______________________

____

Qualification (a) -------- (b) ----------(c) -------------

Registration No. ______________________

Date of Registration ______________________

Part in which registered ______________________

SEAL

Signature ----------------

Registrar,
Himachal Pradesh
Dental Council.

His registration was last renewed on --

This certificate shall remain in force till--

IMPORTANT NOTICE

Every registered Dentist should be careful to renew his registration annually before the Ist day of April every year and send to the Registrar immediately notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Dentist, otherwise under sub-section (2) of Section 39 of the Act, 1948, such Dentist is liable to have his name removed from the Register of Registered Dentist.

FORM VII
HIMACHAL PRADESH DENTAL COUNCIL
CERTIFICATE OF REGISTRATION, DENTAL HYGIENISTS
UNDER THE DENTISTS ACT, 1948
(See rule 32)

Photograph

This is to certify that the person named below has been registered as a Dental Hygienist under the provisions of the Dentists Act, 1948.

Name ----------

Address. ----------

Qualification (a)----------(b)----------(c)----------

Registration No. ----------

Date of Registration ----------

SEAL Signature----------

REGISTRAR
Himachal Pradesh
Dental Council.

His registration was last renewed on ----------

This certificate shall remain in force till ----------

IMPORTANT NOTICE

Every registered Dental Hygienist should be careful to renew his registration annually before the 1st day of April every year and send to the Registrar immediately notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Dental Hygienists otherwise under sub-section (2) of Section 39 of the Act, 1948, such Dental Hygienist is liable to have his name removed from the Register of Registered Dental Hygienists.

FORM VIII
HIMACHAL PRADESH DENTAL COUNCIL
CERTIFICATE OF REGISTRATION, DENTAL MECHANICS
UNDER THE DENTISTS ACT, 1948
(See rule 32)

Photograph

This is to certify that the person named below has been registered as a Dental Mechanic under the provisions of the Dentists Act, 1948.

Name ----------

Address. ----------

Qualification (a)----------(b)----------(c)----------

Registration No. ----------

Date of Registration. ----------

SEAL

Signature----------

REGISTRAR
Himachal Pradesh
Dental Council.

His registration was last renewed on ----------

This certificate shall remain in force till ----------

IMPORTANT NOTICE

Every registered Dental Mechanic should be careful to renew his registration annually before the 1st day of April every year and send to the Registrar immediately notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Dental Mechanics, otherwise under sub-section (2) of Section 39 of the Act, 1948, such Dental Mechanic is liable to have his name removed from the Register of Registered Dental Mechanics.

FORM–IX
(*Vide* sub rule (5) of Rule 7)

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Dental Council,
Shimla.

Dated: Shimla-9, the

Subject: Issue of duplicate certificate.

Sir,

I, _____, registered as Dentist/Dental Hygienist/Dental Mechanic hereby inform your goodself that certificate of Registration (Certificate of Renewal) bearing Registration No. _____ has been lost/destroyed. The affidavit regarding/destruction of Registration certificate is enclosed alongwith.

The receipt of requisite fee is enclosed alongwith.

It is requested that the duplicate certificate may kindly be issued to me.

Yours faithfully,

Signature
Name_____
Present Address
_____

_____

Professional address

_____

_____

Ecl.: Affidavit & Receipt.

Enclosure of

FORM –IX

(*Vide* sub rule (5) of Rule 7)

AFFIFAVIT
(Stamp Paper of Rs. 5/-)

I, _____ son of Shri _____ aged_____ years _____ resident of _____do hereby solemnly affirm that I am registered as Dentist/Dental Hygienist/Dental Mechanic.

The registration certificate bearing Registration No._____ issued by the Himachal Pradesh Dental Council, has been lost or destroyed.

The above stated facts are true and to the best of my knowledge and I shall be responsible for any consequences if proved otherwise.

Place_____

Shimla_____

DEPONENT

DUPLICATE

FORM X
HIMACHAL PRADESH DENTAL COUNCIL
CERTIFICATE OF REGISTRATION, DENTISTS
UNDER THE DENTISTS ACT, 1948
(*Vide* sub rule (5) of Rule 7)

Photograph

This is to certify that the person named below has been registered as a Dentist under the provision of the Dentists Act, 1948.

Name _____

Address _____

_____

Qualification (a) ---------- (b) ----------(c) --------

Registration No. _____

Date of Registration _____

Part in which registered _____

SEAL

Signature ----------

Registrar,
Himachal Pradesh
Dental Council.

His registration was last renewed on ----------

This certificate shall remain in force till----------

IMPORTANT NOTICE

Every registered Dentist should be careful to renew his registration annually before the 1st day of April every year and send to the Registrar immediately notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered dentists, otherwise under sub-section (2) of Section 39 of the Act, 1948, such dentists is liable to have his name removed from the Register of Registered Dentists.

DUPLICATE

FORM XI
HIMACHAL PRADESH DENTAL COUNCIL
CERTIFICATE OF REGISTRATION, DENTAL HYGIENISTS
UNDER THE DENTISTS ACT, 1948
(see rule 7(5))

Photograph

This is to certify that the person named below has been registered as a Dental Hygienist under the provisions of the Dentists Act, 1948.

Name ----------

Address. ----------

Qualification (a)----------(b)----------(c)----------

Registration No. ----------

Date of Registration ----------

SEAL

Signature----------

REGISTRAR
Himachal Pradesh
Dental Council.

His registration was last renewed on ----------

This certificate shall remain in force till ----------

IMPORTANT NOTICE

Every registered Dental Hygienist should be careful to renew his registration annually before the 1st day of April every year and send to the Registrar immediately notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Dental Hygienists otherwise under sub-section (2) of Section 39 of the Act, 1948, such Dental Hygienist is liable to have his name removed from the Register of Registered Dental Hygienists.

DUPLICATE

FORM XII
HIMACHAL PRADESH DENTAL COUNCIL
CERTIFICATE OF REGISTRATION, DENTAL MECHANICS
UNDER THE DENTISTS ACT, 1948
[see rule 7(5)]

Photograph

This is to certify that the person named below has been registered as a Dental Mechanic under the provisions of the Dentists Act, 1948.

Name ----------

Address ----------

Qualification (a)----------(b)----------(c)----------

Registration No. ----------

Date of Registration. ----------

SEAL

Signature----------

REGISTRAR
Himachal Pradesh
Dental Council.

His registration was last renewed on ----------

This certificate shall remain in force till ----------

IMPORTANT NOTICE

Every registered Dental Mechanic should be careful to renew his registration annually before the 1st day of April every year and send to the Registrar immediately notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Dental Mechanics, otherwise under sub-section (2) of Section 39 of the Act, 1948, such Dental Mechanic is liable to have his name removed from the Register of Registered Dental Mechanics.

Form No XIII
(see rule 7(7))

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Dental Council,
Shimla.

Dated: Shimla-9, the

Subject: Issue of "No Objection Certificate".

Sir,

I, _____, hereby apply for transfer of my name from the Register of Dentists from the State of Himachal Pradesh. My Registration No. is _____. I have cleared my renewal fee upto _____ and no dues are pending against me. I am now practicing/shifted at/ to_____. The proof of new address (attested copy of Electricity bill/Telephone bill/Ration card/ Photo identity card/Passport) is enclosed alongwith.

It is further stated that no disciplinary proceeding is pending against me. The requisite fee amounting to Rs. 500/- has been deposited *vide* receipt No._____.

It is therefore, requested that no objection certificate regarding migration/Registration of my name in the register of Dentists in the State of _____, may please be issued to me.

Yours faithfully,

Signature
Name_____
Present Address
_____
_____

Professional address
_____
_____

Encls.: As above.

Form No. XIV
NO OBJECTION CERTIFICATE
(See rule 7(7))

There is no objection for transfer of name of Dr./Mr/Ms._____ from the Register of Registered dentists/dental hygienists/dental mechanics, of Himachal Pradesh Dental Council, bearing Registration No._____ to the State of _____.

No disciplinary proceeding is pending against Dr./Mr./Ms._____. Dr./Mr./Ms._____have paid renewal fee upto date and nothing is due against him/her.

The undersigned is authorized to issue the No Objection Certificate.

SEAL

REGISTRAR
Himachal Pradesh
Dental Council

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित